

मनन एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 170 रकबा 0.81 है0
मु रास्ता जो सार्वजनिक निर्माण विभाग शाहपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड होकर प्रार्थीगण की आराजी
56 रकबा 0.10 है0 से लगा हुआ है एवं अन्य खसरा नम्बर 156 से लगे हुए है। अतः प्रार्थीगणों की
पर आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया
उचित समझता हूँ :-

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0टी0ए0 विरुद्ध विपक्षी के मौके पर
व्यक्त रास्ता उपलब्ध होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 12.10.2020 को विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।



(शिल्पा सिंह)
आई0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर शाहपुरा (भीलवाड़ा)
महायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

